संख्या-4/2019/453/चौदह-4-2019-21(बजट)/2017

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक जून, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना" के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 16.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-986/36-टी-114(2019-20 दिनांक 02.05.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत ''वनावरण सम्बर्धन परियोजना'' के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 16.90 लाख (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	**स्वीकृत धनराशि (में लाख 0रू)**
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखाशीर्षक के लेखाशीर्षक	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय -	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
12-वनावरण सम्वर्द्धन परियोजना (प्रणाली 0एल0सी0सी)	
24-वृहत निर्माण कार्य	15.50
42-अन्य व्यय	01.40
योग -	16.90

(रू0 सोलह लाख नब्बे हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 02.05.2019 में उल्लिखित कार्यों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नाबार्ड की शर्तो तथा विभागीय निदेशों के आधीन नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में विचलन नही किया जायेगा।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कार्यमदो के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन एवं नाबार्ड को उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात उसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड से यथा शीघ्र प्राप्त की जायेगी।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उ0प्र0 नियमानुसार व्यय तथा बचत की धनराशि सुनिश्चित करेगें।

11- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये एवं समस्त क्रय सम्बन्धी कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व यथावश्यक वित्त/नियोजन विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा वर्तमान में प्रवृत्त संगत नियमों/निर्देशों एवं औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार यदि लागू हो तो व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

14- प्रश्नगत योजनान्तर्गत/कार्य के अन्तर्गत हुई प्रगति/व्यय की सूचना/विवरण एवं नवीतम चित्र विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए इसे विभागीय बेवसाइट पर एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप में इंगित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

15- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं अन्य सुसंगत नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है। अत: इसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

संजय सिंह
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-453(1)/चौदह-4-2019-21(बजट)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।